

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी  
(स्थानीय निर्वाचन) जिला दुर्ग छ.ग.

//आदेश//

क्रं./ 07 /स्था.निर्वा./न.पा.निर्वा./2021-22

दुर्ग, दिनांक 24 फरवरी 2021

उप सचिव, छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रं. एफ 1-212/2019/18 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 17.02.2021 के परिपालन में नगर पालिक अधिनियम 1956 की धारा 10 के प्रावधानों के अधीन नगर पालिक निगम भिलाई के वार्डों की रचना पूर्ण हो गई है। अतः छ.ग. नगर पालिका अधिनियम 1956 के (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए आरक्षण) नियम 1994 के तहत नगर पालिक निगम भिलाई के वार्डों का आरक्षण निम्न तिथि में कार्यालय कलेक्टर दुर्ग के सभाकक्ष में किया जावेगा। वार्ड आरक्षण की कार्यवाही के समय जनप्रतिनिधि उपस्थित होकर आरक्षण की कार्यवाही में सम्मिलित हो सकते हैं :-


दिनांक	समय	स्थान का नाम	नगरीय निकाय का नाम/वार्डों की संख्या
02/03/2021	प्रातः 11.00 बजे से	कार्यालय कलेक्टर, सभाकक्ष, दुर्ग	नगर पालिक निगम भिलाई (कुल वार्ड 70)*

  
कलेक्टर,  
जिला दुर्ग

पृ.क्रं./ 85 /स्था.निर्वा./न.पा.निर्वा./2021-22  
प्रतिलिपि :-

दुर्ग, दिनांक 24 फरवरी 2021

1. महालेखाकार, संवाद महिला थाना के पास, छोटापारा, रायपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। कृपया 2 स्थानीय समाचार पत्र जिसका प्रसारण अधिक हो में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
2. उप संचालक, जनसम्पर्क, दुर्ग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
3. परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण, दुर्ग की ओर सूचनार्थ। कृपया आवश्यक कार्यवाही के साथ उपस्थित हों।
4. आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड में चस्पा करने हेतु अग्रेषित।
5. प्रभारी अधिकारी, एन.आई.सी. 02 प्रचलित समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु अपलोड करें तथा जिले के वेबसाइट में सूचना प्रदर्शित करें।
6. जिला नाजीर, दुर्ग को कलेक्टर कार्यालय दुर्ग के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु प्रेषित।

  
कलेक्टर,  
जिला दुर्ग